मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक/ 729 /244/2018/10-1 भोपाल, दिनांक 31/03/ 2018

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय :- स्थाईकर्मियों को शासकीय कर्मचारियों के समान सुविधायें प्रदान करने बावत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 383, दिनांक 22.01.2018.

---00---

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें।

2/ स्थाईकर्मियों को शासकीय कर्मचारियों के समान सुविधायें प्रदान करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन चाहा गया।

3/ सामान्य प्रशासन विभाग प्राप्त टीप दिनांक 27.03.2018 में लेख किया है कि परिपत्र दिनांक 07.10.2016 एवं 03.05.2017 के निर्देशों से पृथक कोई सुविधा दिया जाना संभव नहीं है।

कृपया सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त मार्गदर्शन से संबंधितों को अवगत कराने का कष्ट करें।

(केशव सिंह)
पदेन सचिव
म0 प्र0 शासन, वन विभाग

APCCF (Admn.-II)
M.P., BHOPAL

2156
02-4-18

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 5-1/2013/1/3 भोपाल दिनांक 07 अक्टूबर, 2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष,राजस्व मण्डल,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए "स्थायी कर्मियों को विनियमित करने की योजना"।

राज्य शासन द्वारा नियमितीकरण से वंचित दैनिक वेतन भोगियों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है :-

1.1 इन्हें 'दैनिक वेतन भोगी' के स्थान पर 'स्थायी कर्मी' की श्रेणी दी जावे ।

1.2 इन्हें निम्नानुसार वेतनमान स्वीकृत किया जावे ।

| श्रेणी | वेतनमान |
|---|---|
| 1 | 2 |
| अकुशल | 4000-80-7000 |
| अर्द्धकुशल | 4500-90-7500 |
| कुशल | 5000-100-8000 |

निरन्तर ....2

1.3 वरिष्ठता का लाभ देने हेतु 01 सितम्बर, 2016 की स्थिति में उनके द्वारा पूर्ण किए वर्षों के आधार पर संबंधित वेतनमान में अंकित वेतनवृद्धि की दर से गणना की उन्हें संबंधित वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जावेगा ।

1.4 इस पर इन्हें मंहगाई भत्ता देय होगा। (वर्तमान 125 प्रतिशत)

1.5 कोई एरियर देय नहीं होगा ।

1.6 यह वेतन निर्धारण 01 सितम्बर, 2016 की तिथि से होगा। आगामी वेतनवृद्धि सितम्बर, 2017 से देय होगी ।

1.7 अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर 15 दिन प्रतिवर्ष के सेवाकाल के वेतन के आधार पर उपादान की पात्रता होगी। यह राशि अकुशल के लिए रू. 1,25,000/-, अर्द्धकुशल के लिए रू. 1,50,000/- एवं कुशल के लिए रू. 1,75,000/- तक सीमित होगी ।

1.8 ऐसे दैनिक वेतन भोगी जो दिनांक 16 मई, 2007 को कार्यरत थे, व दिनांक 01 सितम्बर, 2016 को भी कार्यरत हैं, इस वेतन क्रम एवं अन्य लाभों के लिए पात्र होंगे । दिनांक 16 मई 2007 के पश्चात शासन की अनुमति/अनुमोदन उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा दैनिक वेतन भोगी के पद पर नियुक्त किये गये हैं उन्हें भी योजना की पात्रता होगी । दिनांक 01 सितम्बर 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/सेवा से पृथक किये गये अथवा सेवा छोड़ चुके दैनिक वेतन भोगियों को इस योजना की पात्रता नहीं

निरन्तर... 3

5. मध्यप्रदेश दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2013 जो कि संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत जारी किये गये हैं को निरस्त किया जाकर विभिन्न निर्माण उपरोक्त कंडिका- 1.1 से 1.8 के अनुसार मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम 1961 व नियम 1963 के अन्तर्गत इन निर्माण विभागों में कार्यरत श्रमिकों को औद्योगिक श्रमिक मानते हुए आदेश जारी किये जाऐंगे व संबंधित विभाग के स्थायी कर्मियों का नियमन तदनुसार किया जाए।

6. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

( एम.के. वार्ष्णेय )
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5-1/2013/1/3 भोपाल दिनांक 07 अक्टूबर, 2016

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल ।
2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल ।
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर ।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र. ।
5. मा. मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल ।
7. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल ।
8. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।

निरन्तर...5

9. प्रमुख सचिव/सचिव/ उप सचिव/अवर सचिव(स्थापना/अधीक्षण) सा.प्र.विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
10. प्रमुख सचिव, म.प्र.विधान सभा सचिवालय, भोपाल ।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल ।
12. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन, भोपाल ।
13. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र.भोपाल ।
14. सचिव, लोक सेवा आयोग म.प्र. इन्दौर ।
15. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र.।
16. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर।
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, म.प्र., भोपाल ।
18. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, म.प्र. ।
19. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, भोपाल ।
20. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल ।
21. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(सी.बी. पड़वार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग